



# मुख्यमंत्री जन वन योजना



झारखण्ड सरकार



वन, पर्यावरण एवं  
जलवायु परिवर्तन विभाग





झारखण्ड सरकार

## वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

### संकल्प

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा घोषित “मुख्यमंत्री जन-वन योजना” के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु अधिसूचित मार्ग-निर्देशिका में संशोधन के संबंध में।


“मुख्यमंत्री जन-वन योजना” झारखण्ड राज्य में निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर किसानों की आय में वृद्धि के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने एवं राज्य के अधिसूचित वनों पर दबाव भी कम किये जाने के लिए बनाई गई योजना है। पूर्व में विभागीय संकल्प संख्या-5965, दिनांक-27.11.2015 द्वारा “मुख्यमंत्री जन वन योजना” के कार्यान्वयन हेतु मार्ग निर्देशिका निर्गत है।

2. “मुख्यमंत्री जन-वन योजना” के कार्यान्वयन में आ रही कतिपय बाधाओं को दृष्टिपथ में रखते हुए उनके निराकरण हेतु पूर्व में स्वीकृत मार्ग-निर्देशिका में संशोधन का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।
3. एतद् द्वारा “मुख्यमंत्री जन वन योजना” के कार्यान्वयन हेतु संशोधित संलग्न मार्ग-निर्देशिका की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संकल्प निर्गत की तिथि के उपरांत योजना का कार्यान्वयन संलग्न संशोधित मार्ग-निर्देशिका के अनुरूप ही किया जाएगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।


विश्वासभाजन,

अनु.—यथोक्त।


  
14/5/2018  
(इन्दु शेखर चतुर्वेदी)

अपर मुख्य सचिव  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक — 4/यो. बजट-79/2015/2005 दिनांक — 14.05.2018  
प्रतिलिपि :- सानुलग्नक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची  
को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सूचनार्थ प्रेषित।  
संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को परिचारित करते हुए 100  
प्रति विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

  
14/5/2018  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक — 4/यो. बजट-79/2015/2005 दिनांक — 14.05.2018  
प्रतिलिपि :- सानुलग्नक महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी अपर मुख्य  
सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री  
सचिवालय/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास  
आयुक्त के आप्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों को  
सूचनार्थ प्रेषित।

  
14/5/2018  
अपर मुख्य सचिव

झारखण्ड सरकार  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
“मुख्यमंत्री जन-वन योजना”  
(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

(संशोधित मार्ग निर्देशिका)

झारखण्ड राज्य में पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु वन अच्छादित क्षेत्र को बढ़ाया जाना आवश्यक है। राज्य में वन अच्छादित क्षेत्र को बढ़ाने हेतु निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय के साधन में वृद्धि के साथ-साथ राज्य के अधिसूचित वनों पर दबाव भी कम होगा। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य में “मुख्यमंत्री जन वन योजना” लागू की जा रही है।

इस योजना के अंतर्गत राजस्व अभिलेखों के अनुसार उचित स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति को उनके द्वारा स्वेच्छा से विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रजातियों का अपनी निजी भूमि पर (ब्लॉक वृक्षारोपण अथवा खेत की मेड़ पर-रैखिक वनरोपण) वृक्षारोपण हेतु प्रेरित किया जाएगा। प्रोत्साहन-स्वरूप वृक्षारोपण एवं उसके रख-रखाव पर हुए व्यय के 75 प्रतिशत अंश की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जायेगी।

## **2. योजना के उद्देश्य**

योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

- 2.1 प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम रखना।
- 2.2 वृक्षारोपण के माध्यम से भू-जल संरक्षण करना।
- 2.3 निजी क्षेत्र में वनोपज उत्पादन को बढ़ावा देकर अधिसूचित वनों पर दबाव कम करना।
- 2.4 किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय में बढ़ोत्तरी करना।
- 2.5 राज्य में जन सहयोग से वनाच्छादन को बढ़ावा देना।

## **3. योजना के घटक**

योजना के घटक निम्नलिखित हैं :-

- 3.1 इस योजना के अन्तर्गत ब्लॉक वृक्षारोपण (Block Plantation) एवं खेत की मेड़ पर वृक्षारोपण (रैखिक) किया जा सकेगा।

**3.2 कार्य विवरणी-** योजना का कार्यान्वयन तीन वर्षों में सम्पन्न होगा, जिसमें वर्षवार लाभुक द्वारा वृक्षारोपण संबंधी निम्न कार्य अपने खर्चे पर संपादित किये जायेंगे :-

(क) **प्रथम वर्ष** - गड़ढा खुदाई, सुरक्षा घेरान बनाना, पौधा रोपण, दो कोड़नी निकौनी, उर्वरक/जैविक खाद/कीटनाशक देना, पटवन एवं सुरक्षा आदि।

(ख) **द्वितीय वर्ष**- एक कोड़नी निकौनी (फलदार प्रजाति के पौधों के लिए दो कोड़नी निकौनी), उर्वरक, पटवन कार्य एवं सुरक्षा कार्य।

(ग) **तृतीय वर्ष**- एक कोड़नी निकौनी (फलदार प्रजाति के पौधों के लिए दो कोड़नी निकौनी), उर्वरक पटवन कार्य, घेरान मरम्मति एवं सुरक्षा कार्य।

**3.3 दो पौधों के बीच दूरी-** निजी भूमि पर काष्ठ प्रजाति के रोपण हेतु 30 cm × 30 cm × 30 cm साइज के गड़ढे खोदे जायेंगे तथा दो गड़ढों के बीच 3m×3m तथा मेढ़ पर 2m × 2m की दूरी रखी जायेगी। फलदार पौधों के लिए 60cm × 60cm × 60 cm साइज के गड़ढे खोदे जायेंगे एवं 5m × 5m रखी जायेगी। एक एकड़ में काष्ठ प्रजाति के 445 पौधे, फलदार प्रजाति के 160 पौधों का रोपण किया जा सकेगा। मेढ़ पर काष्ठ प्रजाति के 445 पौधे लगाने पर इसे एक एकड़ के समतुल्य माना जायेगा। मेढ़ पर फलदार पौधे नहीं लगाये जायेंगे।

**3.4 वृक्षारोपण हेतु निर्धारित प्रजातियाँ-** इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण अपनी निजी भूमि पर काष्ठ प्रजातियों यथा शीशम, सागवान, गम्हार, महोगनी, क्लोनल यूकलिप्टस, एकासिया एवं फलदार प्रजातियाँ यथा कलमी आम, कटहल, अमरुद, आंवला, बेल एवं लीची का वनरोपण कर सकेंगे। कालान्तर में यदि इन प्रजातियों से अतिरिक्त अन्य प्रजातियों के वृक्षारोपण किया जाता है तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के अनुमति से अन्य प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जा सकेगा।

**3.5 वृक्षारोपण हेतु पौधों की उपलब्धता विभागीय पौधशाला एवं उसमें उपलब्ध पौधों की पूर्ण सूची विभागीय वेबसाइट [forest.jharkhand.gov.in](http://forest.jharkhand.gov.in) पर उपलब्ध है। लाभुकों को विभागीय पौधशाला में उपलब्ध पौधों की**

आपूर्ति की जा सकेगी अथवा लाभुक पौधों की आपूर्ति अन्य स्रोतों से भी कर सकेंगे। फलदार पौधे एवं कलमी फलदार पौधे भारत सरकार के संस्थान HARP PALANDU, राज्य सरकार की पौधशालाओं से सरकार/ संस्थान द्वारा निर्धारित विक्रय दर पर भी क्रय किये जा सकते हैं।

- 3.6** वृक्षारोपण किये गए पौधों की सुरक्षा का दायित्व लाभुक का होगा।
- 3.7** इस योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा एक लाभुक के लिए 0.5 एकड़ एवं अधिकतम सीमा 50 एकड़ होगी।

#### **4. लाभुकों को देय प्रोत्साहन राशि**

- 4.1** इस योजना हेतु स्वीकृत वनरोपण दर के अनुरूप लागत राशि का 75 प्रतिशत अंश लाभुक को प्रोत्साहन राशि के रूप में देय होगा।
- 4.2** विभाग द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण दर के अनुसार प्रति एकड़ फलदार एवं काष्ठ प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु निम्न व्यय होगा :-

क्र०	वृक्षारोपण	वर्षवार प्रस्तावित व्यय (राशि रु० में)			कुल
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	
1.	फलदार प्रजाति	36546.84	3457.56	5896.46	45900.86
2.	काष्ठ प्रजाति	29659.14	6386.79	8904.99	44950.92

#### **4.3 उपरोक्त व्यय के आंकड़े के आधार पर**

(क) अगर लाभुक द्वारा स्वयं पौधे की व्यवस्था की जाती है तो लाभुक को निम्नवत् राशि देय होगी :-

योजना वर्ष	प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (रु० में)		फलदार प्रजाति			
	काष्ठ प्रजाति	फलदार प्रजाति	काष्ठ प्रजाति		फलदार प्रजाति	
			प्रथम किस्त की राशि	द्वितीय किस्त की राशि	प्रथम किस्त की राशि	द्वितीय किस्त की राशि
प्रथम वर्ष	44.0	151.00	36.00	8.00	118.00	33.00
द्वितीय वर्ष	10.00	14.00	10.00		14.00	
तृतीय वर्ष	13.00	24.00	13.00		24.00	
कुल राशि	67.00	189.00				

(ख) अगर पौधों की आपूर्ति वन विभाग द्वारा की जायेगी तो इस योजना के अधीन लाभुक को निम्नवत प्रोत्साहन राशि देय होगी :-

योजना वर्ष	प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (—० में)	
	काष्ठ प्रजाति	फलदार प्रजाति
प्रथम वर्ष	31.10	111.00
द्वितीय वर्ष	10.00	14.00
तृतीय वर्ष	13.00	24.00
कुल राशि :-	54.00	149.00

4.4. विभागीय दर निर्धारण समिति द्वारा योजना हेतु प्रतिवर्ष वनरोपण दर का निर्धारण किया जायेगा एवं तदनुसार लाभुक को देय प्रोत्साहन राशि का निर्धारण होगा।

## 5. प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्रक्रिया

5.1 विभाग द्वारा समाचार पत्रों में केन्द्रीयकृत विज्ञापन प्रकाशित कराकर इस योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु लाभान्वितों से विहित प्रपत्र (अनुलग्नक-1) में आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। लाभुक को आवेदन पत्र के साथ निम्न कागजात संलग्न करना आवश्यक होगा:-

- भूमि स्वामित्व एवं कब्जा के संबंध में अंचलाधिकारी का प्रतिवेदन (अनुलग्नक-2)
- अनुबंध पत्र (अनुलग्नक-3)
- लाभुक के बैंक पासबुक की अद्यतन छायाप्रति जिसमें प्रोत्साहन राशि प्राप्त की जानी है।

5.2 इच्छुक व्यक्ति विहित प्रपत्र (अनुलग्नक सं.-1) में अपने जिले के वन प्रमण्डल पदाधिकारी (अनुलग्नक-4 में उल्लेखित) के कार्यालय में समाचार पत्रों में इस योजना हेतु विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त निर्धारित समय सीमा में आवेदन कर सकेगा। विज्ञापन प्रति वर्ष सितम्बर माह में स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।

5.3 एक से अधिक व्यक्ति मिलकर भी इस योजना के अन्तर्गत मेड़ के किनारे (रेखिक वृक्षारोपण) कार्य कर सकते हैं।



5.4 आवेदन प्राप्ति के तीन दिनों के अंतर्गत वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा विभागीय MIS application पर अपलोड किया जायगा। अपूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन अस्वीकार करते हुए सूचना आवेदक को दी जाएगी।

## 6. चयन की प्रक्रिया :

6.1 संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी कंडिका 5.1 में उल्लेखित कागजातों की जाँच करेंगे एवं लाभुकों का चयन कर सूची बनायेंगे।

6.2 विलोपित।

6.3 विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदकों की उपस्थिति में लॉटरी निकाल कर लाभुकों का चयन किया जायेगा।

6.4 चयनित लाभुकों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी तथा संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा लाभुक को सूचित किया जायेगा।

6.5 संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रमंडलवार चयनित लाभुकों की सूची संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम को वृक्षारोपण हेतु पौधों की व्यवस्था करने हेतु प्रेषित की जायेगी।

6.6 विभाग द्वारा इस योजना को लाभुकों को पूर्ण विवरणी जिसमें वृक्षारोपण स्थल के जियो-कोरडिनेट तथा फोटोग्राफ भी शामिल होंगे, जिलावार संधारित की जायेगी।

## 7. लाभुकों को की जाने वाली प्रोत्साहन राशि के भुगतान की प्रक्रिया

7.1 लाभुकों द्वारा निजी भूमि पर किये जाने वाले वृक्षारोपण के लिये प्रथम वर्ष में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु अनुलग्नक सं.-4 में वर्णित पदाधिकारी के कार्यालय में माह जून में संशोधित प्रपत्र 5(क) में दावा किया जाएगा।

7.2 वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा लाभुक के प्रथम वर्ष में दावे का सत्यापन कर किए गए कार्यों यथा स्थल की सफाई, गड्ढा खोदना, घेरान करना, वृक्षारोपण हेतु पौधे की व्यवस्था करने के आधार पर प्रोत्साहन राशि के भुगतान की स्वीकृति माह जुलाई में दी जायेगी एवं सत्यापन के आधार पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान लाभुक के बैंक खाते में सीधे हस्तान्तरित किया जायेगा। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु माह अप्रैल की उत्तरजीविता के आधार पर लाभुक द्वारा अप्रैल माह में संशोधित प्रपत्र 5(ख) में दावा संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा उत्तरजीविता

सत्यापन कर उत्तरजीविता के अनुरूप द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की प्रोत्साहन राशि हेतु भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जायेगी तथा प्रोत्साहन राशि सीधे ही लाभुक के खाते में हस्तान्तरित की जाएगी।

**7.3 विलोपित।**

**7.4** प्रोत्साहन राशि का भुगतान लाभुकों के बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा। संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सत्यापन के उपरान्त भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान कर राशि सीधे संबंधित आवेदक के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।

**8. वन विभाग के पदाधिकारियों/अधिकारियों/कर्मियों के कर्तव्य एवं दायित्व :**

**8.1** वन विभाग के संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र प्राप्त करना, लाभुकों का चयन करना, माँगे जाने पर पौधे उपलब्ध कराना, आवश्यक तकनीकी जानकारी प्रदान करना, प्रोत्साहन राशि के दावों के सत्यापन पश्चात् नियमानुसार देय प्रोत्साहन राशि का भुगतान करना तथा योजना की सफलता हेतु उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने तक सीमित होगा।

**8.2** प्रत्येक वर्ष इस योजना के अन्तर्गत लाभुक व्यक्तियों की विवरणी (अनुलग्नक-6) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। इस विवरणी को योजना की समाप्ति पर (अर्थात् तीसरे वर्ष) उपलब्ध पौधों के आधार पर update किया जाएगा।

**9. योजना में लगाये गये वृक्षों का स्वामित्व-** “जन-वन योजना” के तहत उगाये गये वृक्षों का पूर्ण स्वामित्व संबंधित लाभुक में निहित होगा। वृक्षों के पातन के समय संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर पातन की अनुमति एवं परिवहन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा। इस कार्य हेतु विभाग इस योजना में किये गये वृक्षारोपण का डाटाबेस संधारित करेंगे।



अपर मुख्य सचिव

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
झारखण्ड, राँची

## आवेदन प्रपत्र

मुख्यमंत्री जन-वन योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना) अंतर्गत  
वृक्षारोपण करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,

सामाजिक वानिकी प्रमण्डल / विश्व खाद्य कार्यक्रम.....

आवेदक का  
फोटो

**विषय :** मुख्यमंत्री जन-वन योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना)  
अंतर्गत वृक्षारोपण करने हेतु आवेदन

मैं निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वृक्षारोपण करना चाहता  
हूँ/ चाहती हूँ। मेरी भूमि के संबंध में तथा अन्य जानकारी निम्नानुसार है :-

**(क) आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी**

1. आवेदक का नाम -
2. आधार संख्या -
3. पिता/माता/पति का नाम -
4. आवेदक का मोबाईल/दूरभाष नं. एस.टी.डी. कोड सहित-
5. पत्र व्यवहार का पता -
6. जाति-सामान्य/अनु. जाति/अनु. जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग-

**(ख) आवेदक की निजी भूमि जिसमें वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, का विवरण**

7. ग्राम -
8. राजस्व थाना एवं थाना नं. -
9. अंचल
10. जिला -
11. खात नं. -
12. खेसरा नं.-
13. रकबा (एकड़ में)-

(ग) वृक्षारोपण हेतु जानकारी

14. रोपण का प्रकार—ब्लॉक वृक्षारोपण / खेत की मेड़ पर वृक्षारोपण
15. ब्लॉक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल (हे. में) / खेत की मेड़ की लम्बाई (मीटर में)
16. रोपित किये जाने वाले पौधों की प्रजातिवार संख्या—

क्र०	काष्ठ प्रजाति	संख्या	फलदार प्रजाति	संख्या
1.				
2.				
कुल				

(घ) संलग्न आवश्यक दस्तावेजों की सूची

17. भूमि स्वामित्व एवं कब्जा के संबंध में अंचलाधिकारी का प्रतिवेदन
18. आधार कार्ड की छायाप्रति (यदि सम्भव हो)
19. अनुबंध पत्र
20. बैंक पासबुक की छायाप्रति
21. रद्द की हुई चेक

(ङ) बैंक खाता विवरण

22. बैंक का नाम :—
23. बैंक का पता :—
24. खाता संख्या :—
25. IFS code :—

स्थान :— .....

दिनांक :— .....

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम  
तथा पूरा पता

अंचलाधिकारी का प्रतिवेदन का प्रा-प

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,

.....

.....

विषय :

प्रसंग : आपका पत्रांक —

दिनांक —

महाशय,

आपके प्रासंगिक प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्न भूमि विवरण पर निम्नवत् व्यक्ति के स्वामित्व में कब्जा है। अतः उन्हें इस जन-वन योजना के अन्तर्गत पौधे लगाने पर योजना के अनुरूप निर्धारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा सकता है :-

(1) भूमि का विवरण

जिला —

प्रखण्ड --

ग्राम --

खाता —

प्लॉट —

(2) स्वामित्व एवं कब्जा रखनेवाले व्यक्ति का नाम एवं पता जिसे भुगतान करना होगा।

(3) बैंक खाता संख्या एवं IFSC Code --

अंचलाधिकारी

**मुख्यमंत्री जन-वन योजना**  
(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना) अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु  
अनुबंध पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गयी सूचनायें सत्य हैं। पौधे आवंटित होने पर मैं पूरी मेहनत एवं लगन से पौधारोपण करूँगा/करूँगी एवं वन विभाग के सभी निर्देशों का अनुपालन करूँगा/करूँगी। यदि ऊपर में दी गयी सभी जानकारी/कालान्तर में उक्त सूचना गलत सिद्ध होती है, तो इसके लिए मैं जिम्मेवार होऊँगा/होऊँगी और मैं मानता/मानती हूँ कि मेरे विरुद्ध वैधानिक/दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन एवं आवंटन को रद्द किया जा सकेगा। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं इस योजना की सभी शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी। मैं इस योजना के अन्तर्गत रोपित किये गये पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करूँगा/करूँगी तथा परिपक्वता से पहले एवं वन विभाग की अनुमति के बिना इन वृक्षों को नहीं काटूँगा/काटूँगी।

स्थान :- .....

दिनांक :- .....

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

.....

प्राप्ति रसीद

श्रीमान्/श्रीमती.....पिता/माता/पति.....

.....वन प्रमण्डल का नाम .....वन क्षेत्र का नाम .....

प्रखण्ड का नाम .....जिला का नाम.....पिन कोड .....

“मुख्यमंत्री जन-वन योजना” (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) अन्तर्गत वृक्षारोपण करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त किया गया, जिसका क्रमांक .....है।

स्थान : .....

दिनांक : .....

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

पूरा नाम एवं पदनाम



## मुख्यमंत्री जन-वन योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना के कार्यान्वयन हेतु जिलावार वन प्रमण्डल पदाधिकारियों की सूची :-

क्र० सं०	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/वन प्रमण्डल पदाधिकारी का नाम
i	ii	iii
1.	राँची	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची
2.	खूँटी	खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी
3.	सिमडेगा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा
4.	गुमला	
5.	चाईबासा (प० सिंहभूम)	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा
6.	पूर्वी सिंहभूम	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर
7.	लातेहार	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार
8.	गढ़वा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा
9.	मेदिनीनगर	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल
10.	हजारीबाग	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग
11.	रामगढ़	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़
12.	चतरा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल
13.	कोडरमा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा
14.	देवघर	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर
15.	गोड्डा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी गोड्डा, वन प्रमण्डल, गोड्डा
16.	दुमका	
17.	जामताड़ा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका
18.	सरायकेला-खरसावां	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल
19.	पाकुड़	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़
20.	साहेबगंज	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज
21.	बोकारो	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो
22.	धनबाद	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद
23.	लोहरदगा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा
24.	गिरीडीह	गिरीडीह पूर्वी वन प्रमण्डल गिरीडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल

## मुख्यमंत्री जन-वन योजना

(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

आवेदक द्वारा जीवित पौधों के प्रतिशत संबंधित स्वयं जारी घोषणा-पत्र

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,

सामाजिक वानिकी प्रमण्डल / विश्व खाद्य कार्यक्रम.....

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री/श्रीमती.....

पिता/माता/पति.....ग्राम.....

प्रखण्ड..... जिला..... का निवासी हूँ। मेरे द्वारा अपने

स्वामित्व की भूमि, प्लॉट संख्या ..... खाता नं./खेसरा नं. ....

(ग्राम.....) क्षेत्रफल..... एकड़ में..... वृक्षारोपण

कार्य स्थल सफाई..... गड़ढे खोदे गये हैं।

.....फीट ट्रेच घेरान किया गया है तथा वृक्षारोपण हेतु..... पौधों की

व्यवस्था कर ली गयी है। मैं..... माह में वृक्षारोपण तथा ..... माह

में कोड़नी, निकौनी एवं सुरक्षा का कार्य करूंगा/करूंगी/करेंगे।

मैं शपथ लेता हूँ कि दी गयी सभी सूचनाएँ सही हैं। उक्त के आधार पर मुझे योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि रु. .... की पात्रता बनती है।

कृपया उपरोक्तानुसार प्रोत्साहन राशि मेरे बैंक खाता संख्या .....

बैंक का नाम एवं पता..... बैंक का I.F.S.C. कोड ..... में

भुगतान करने की कृपा करें। इस खाता से संबंधित पासबुक की छायाप्रति संलग्न है।

आवेदक का हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

तिथि :

### सत्यापन

निरीक्षण दिनांक .....को..... (गड़डा की संख्या.....

घेरान कार्य .....लम्बाई में की गयी है। जिसके अनुसार प्रोत्साहन राशि .....

..... रु. बनती है। प्रोत्साहन राशि रु. .... आवेदक के बैंक खाता क्रमांक

..... बैंक का नाम एवं पता..... बैंक का I.F.S.C. कोड ..... में

भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर

सत्यापनकर्ता पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

(दिनांक सहित)

### प्रपत्र

मुख्यमंत्री जन-वन योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)  
द्वितीय एवं तृतीय वर्ष हेतु प्रोत्साहन राशि के लिए सत्यापन प्रमाण-पत्र

मैं,  
 वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
 सामाजिक वानिकी प्रमण्डल / विश्व खाद्य कार्यक्रम.....  
 प्रमाणित किया जाता है कि प्रादेशिक प्रमण्डल..... संस्था का नाम मैं  
 श्रीमती..... विभाग..... पिता / माता / पति.....  
 ग्राम..... प्रखण्ड..... जिला.....  
 निवासी हूँ। मेरे स्वामित्व की भूमि, खाता नं. / खेसरा नं. .... (ग्राम.....  
 क्षेत्रफल..... एकड़ में..... (पौधों की संख्या) पौधों  
 ब्लॉक / मेड़ पर वृक्षारोपण वर्ष ..... में मेरे संस्था द्वारा कराया गया है।  
 की गिनती के अनुसार वृक्षारोपण स्थल पर..... (पौधों  
 संख्या) जीवित है।

मैं शपथ लेता हूँ संस्था द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि दी गयी सभी सूचनाएँ  
 सही हैं। उक्त के आधार पर मुझे ..... योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि  
 की पात्रता बनती है।

आवेदक का हस्ताक्षर  
 (पूरा नाम)

तैथि :

### सत्यापन

निरीक्षण दिनांक ..... को..... (पौधों की संख्या) पौधे  
 जीवित हैं। पौधों की औसतन ऊँचाई..... फीट है। जीवित पौधों का प्रतिशत  
 ..... है।

प्रोत्साहन राशि रु..... आवेदक संस्था के बैंक खाता क्रमांक .....  
 का नाम एवं पता..... बैंक का I.F.S.C. कोड ..... में भुगतान करने  
 अनुशंसा की जाती है।

### हस्ताक्षर

सत्यापनकर्ता पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम  
 (दिनांक सहित)

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
योजना का नाम - मुख्यमंत्री जन-वन योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कार्यालय

प्रमण्डल का नाम : - ..... वित्तीय वर्ष - ..... जिला का नाम : - .....

क्र०	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम (टोला)	किसान का नाम एवं पिता का नाम	आवेदन संख्या	खेत का रकबा (एकड़) में	खाता	खेसरा	पौधों की संख्या		मोबाईल न०	जाति
									काष्ठ	फलदार		
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii
1.												
2.												
3												
4												
5												

## कार्यालय आदेश

संख्या-01/यो०ब०-10/2014-17

दिनांक : 24/5/18

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या सं०सं०-4/ यो० बजट-42/2010-2371 व०प०, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थायी समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 16.5.2018 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त "मुख्यमंत्री जन-वन योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (फलदार प्रजाति) वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय एवं गैर-विभागीय स्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वयन की जाने वाली "मुख्यमंत्री जन-वन विकास योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (फलदार प्रजाति) वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश की तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

### वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : "मुख्यमंत्री जन-वन योजना"

(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़ : 160 पौधे (फलदार/कलमी पौधे)

स्पेसिंग 5 मी. × 5 मी.

प्रजातियाँ : कलमी आम, कटहल, अमरुद, आंवला, बेल लीची आदि।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	लाभुकों को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (75 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
क	वित्तीय वर्ष 2018-19 में (अग्रिम कार्य एवं समापन कार्य) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 237.38 रु० प्रति मानव दिवस।							
1.	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2'x2'x2' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना @ 160 पौधे प्रति एकड़	एकड़	26.00	6171.88	0.00	6171.88	28.93	

2.	पौधों का क्रय @ 60 रु. प्रति पौधा (परिवहन सहित) @ 160 पौधे प्रति एकड़ (5% अतिरिक्त पौधे का क्रय किया जाएगा)	एकड़	0.00	0.00	9600.00	9600.00	45.00	पौधे विभागीय स्तर से उपलब्ध कराई जायेगी। लाभुक द्वारा पौधों की व्यवस्था स्वयं करने पर 45.00 रु. प्रति पौधा या वास्तविक दर जो कम हो की दर से राशि देय होगी।
3.	वृक्षारोपण	एकड़	24	5697.12	0.00	5697.12	26.71	
4.	दो कोड़नी एवं निकोनी	एकड़	4.00	949.52	0.00	949.52	4.45	
5.	पौधों की सुरक्षा		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
6.	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी.ए.पी. / यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	1600.00	1600.00	7.50	
	योग		54.00	12818.52	11200.00	24018.52	112.59	
<b>ख. वित्तीय वर्ष 2019-20 में सम्पौषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 273 (वृद्धि 15 प्रतिशत)</b>								
1.	दो कोड़नी-निकोनी	एकड़	4.00	1092.00	0.00	1092.00	5.12	
2.	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी.ए.पी. / यूरिया, जैविक किटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	800.00	8.00	3.75	
3.	पानी पटवन		0.00	0.00	1600.00	1600.00	7.50	
4.	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
	योग		4.00	1092.00	2400.00	3492.00	1637.00	
<b>ग. वित्तीय वर्ष 2021-22 में सम्पौषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 313 (वृद्धि 15 प्रतिशत)</b>								
1.	दो कोड़नी-निकोनी	एकड़	4.00	1252.00	0.00	1252.00	5.87	
2.	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, किटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	800.00	800.00	3.75	
3.	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	1600.00	1600.00	7.50	



4.	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
5.	घेरान मरम्मत @ 2.5 घेन प्रति एकड़	एकड़	3.0	939.00	0.00	939.00	4.40	
	योग		7.0	2191.00	2400.00	4591.00	21.52	
	सकल योग		65.0	16101.52	16000.00	32101.52	150.48	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक-01/यो0ब0-10/2014-615

दिनांक-24.05.18

प्रतिलिपि :

1. प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, राँची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
7. सभी मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी
10. इन्चिरा केन्द्र, झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची

## कार्यालय आदेश

संख्या-01/यो०ब०-10/2014-18

दिनांक : 24/5/18

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या स०स०-4/ यो०बजट-42/ 2010-2371 व०प०, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थायी समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 16.05.2018 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त "मुख्यमंत्री जन वन योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (काष्ठ प्रजाति) वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वहन की जाने वाली "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (काष्ठ प्रजाति) वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान —प से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

### वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : "मुख्यमंत्री जन वन योजना"

(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़ : 445 पौधे (काष्ठ प्रजातियों का वनरोपण)  
स्पेसिंग 3 मी० × 3 मी. एवं मेड़ के प्रजातियाँ-शीसम, सागवान, गम्हार, महोगनी,  
किनारे 2 मी० × 2 मी० क्लोनल, यूकोलिफ्टस, एकासिया आदि

क्र०	कार्य का विवरण	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	लाभुको को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (75 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
<b>क वित्तीय वर्ष 2018-19 में (अग्रिम कार्य एवं समापन कार्य) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 237.38 रु० प्रति मानव दिवस</b>								
1	मृदा कार्य (0.3 मी. × 0.3 मी. × 0.3 मी.) 0.027 क्यू. मी. 445 पौधे प्रति एकड़ (झारखण्ड सहित)	एकड़	10.00	2373.80	0.00	2373.80	4.00	
2	पौधों का क्रय / @ 20 रु. प्रति पौधा (परिवहन सहित)	एकड़	0.00	0.00	8900.00	8900.00	15.00	पौधे विभागीय स्तर से उपलब्ध कराये जायेंगे। लाभुक द्वारा पौधों की व्यवस्था स्वयं करने पर 15.00 --0 प्रति पौधा की दर से राशि देय होगी
3	वृक्षारोपण	एकड़	10.00	2373.80	0.00	2373.80	4.00	
4	दो कोड़नी एवं निकोनी	एकड़	11.00	2611.18	0.00	2611.18	4.40	
5	पौधों की सुरक्षा		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी

6	समग्र बीज, खरबूत, कमण्डलू खाद, डी.ए.पी., यूरिया, मैट्रिक खाद, कीटनाशक (आदि)	एकड़	0.00	0.00	700.00	700.00	1.18	
योग			31.00	7358.78	9600.00	16958.78	28.58	
<b>ख वित्तीय वर्ष 2019-20 में सम्मोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 273 (वृद्धि 15 प्रतिशत)</b>								
1	एक काइनी-मिकनी	एकड़	6.00	1638.00	0.00	1638.00	2.76	
2	समग्र बीज, खरबूत, कमण्डलू खाद, डी.ए.पी., यूरिया, मैट्रिक खाद, कीटनाशक (आदि)	एकड़	0.00	0.00	350.45	350.45	0.59	
3	पानी पटवना	एकड़	0.00	0.00	4450.00	4450.00	7.50	
4	मैट्रिक की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	सामुहिक द्वारा की जाने वाली
योग			6.00	1638.00	4800.45	6438.45	10.85	
<b>ग वित्तीय वर्ष 2020-21 में सम्मोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 313 (वृद्धि 15 प्रतिशत)</b>								
1	एक काइनी-मिकनी	एकड़	6.00	1878.00	0.00	1878.00	3.17	
2	समग्र बीज, खरबूत, कमण्डलू खाद, डी.ए.पी., यूरिया, मैट्रिक खाद, कीटनाशक (आदि)	एकड़	0.00	0.00	350.45	350.45	0.59	
3	पानी पटवना	एकड़	0.00	0.00	4450.00	4450.00	7.50	
4	मैट्रिक की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	सामुहिक द्वारा की जाने वाली
5	समग्र मरम्मत / 2.5 घण्टे एकड़	एकड़	3.00	939.00	0.00	939.00	1.58	
योग			9.00	2817.00	4800.45	7617.45	12.84	
सकल योग			46.00	11813.78	19200.90	31014.68	52.27	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची  
दिनांक-24.05.18

झापांक-01/यो0ब0-10/2014-615

प्रतिलिपि :

1. प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पथ, झारखण्ड, राँची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
7. सभी मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी
10. इन्चिस् केंद्र, झारखण्ड का विभागीय वेबसाइट पर डालने हेतु का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची

## कार्यालय आदेश

संख्या-01/यो0ब0-10/2014-19

दिनांक : 24/5/18

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना सं0सं0-4/यो0बजट-42/ 2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थायी समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 16.05.2018 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त "मुख्यमंत्री जन-वन योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (घेरान) वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय एवं गैर-विभागीय स्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना" (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (घेरान) वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।


### वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : "मुख्यमंत्री जन-वन योजना"

(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़	445 पौधों (काष्ठ प्रजातियों का वनरोपण)
	160 पौधे (फलदार प्रजातियों का वनरोपण)
मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु0 में)	237.38 प्रति मानव दिवस
फलदार प्राजाति हेतु स्पेसिंग 5मी0×5मी0	फलदार प्रजातियाँ- कलमी आम, कटहल, अमरुद, आँवला, बेल, लीची, आदि
काष्ठ प्राजाति हेतु स्पेसिंग 3मी0 × 3मी0 एवं मेड़ के किनारे 2 मी0 × 2 मी0	काष्ठ प्रजातियाँ- शीसम, सागवान, गम्हार, महोगनी, क्लोनल, यूकोलिप्टस, एकासिया आदि।

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	लाभुकों को प्रति पौधा देय राशि	
							काष्ठ प्रजाति	फलदार प्रजाति
क वित्तीय वर्ष 2018-19 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)								
1	मशीन द्वारा ट्रैव खुदाई हेस्टिंग सहित जल संयन्त्र विभाग की अनुसूचित दर प्रती एकड़ सूचे दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईएम संख्या 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर) प्रति एकड़ अधिकतम 2.5 चैन	2.5 चैन प्रति एकड़	5.00	1186.90	4909.48	6096.38	10.27	28.58
2	झाड़ी घेरान (2.5 × 6 मानव दिवस) (प्रति एकड़ अधिकतम 2.5 चैन)	2.5 चैन प्रति एकड़	15.00	3560.70	62.50	3623.20	6.11	16.98
3	फाथर घेरान (2.5 × 25 मानव दिवस) (प्रति एकड़ अधिकतम 2.5 चैन)	2.5 चैन प्रति एकड़	62.50	14836.25	0.00	14836.25	25.00	69.54


  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापक-01/यो0ब0-10/2014-

दिनांक-

प्रतिलिपि :

1. प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्वद, झारखण्ड, राँची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
7. सभी मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी
10. इन्चिस केन्द्र, झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची

हरा सोना उगाइये।  
देश को हरा-भरा बनाइये॥

वृक्ष लगायें,  
वृक्ष बचायें।

नंगी धरती करे पुकार।  
वृक्ष लगाकर करो शृंगार॥

वृक्ष धरा के आभूषण।  
करते दूर प्रदूषण॥

वृक्ष सुरक्षा हम करें, ये जीवन आधार।  
वृक्षों के वल पर सदा, हरा-भरा संसार॥







